



यू.ओ.नोट

विषय:-जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 01.01.2023 से जून 2023 तक सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची जेडीए वेबसाईट्स पर अपलोड किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा 01.01.2023 से माह जून 2023 तक सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची।

  
(धर्मन्द्र कुमार यादव)  
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन

सिस्टम एनालिस्ट,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/मुनिप्र/2023/डी- 4199 दिनांक 11-12-23



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रवर्तन प्रकोष्ठ में जोनवार दिनांक: 01.01.2023 से जून 2023 तक सीलमुक्त किये गये भवनो की सूची।

क्र. सं.	जोन	सील किये गये भूखण्डों का विवरण	सील करने की दिनांक	सील करने का कारण	माननीय न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी की पालना के संबंध में पारित आदेश।
1.	04	प्लॉट नं. बी-165 सिद्धार्थ नगर, जयपुर।	09.02.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल+पिल्लर एवं दीवारो का निर्माण कर शटरिंग की जा रही थी के विरुद्ध दिनांक 21.01.2021 को धारा 32, 33 व दिनांक: 08.02.2021 को धारा 34 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर दिनांक 09.02.2021 को उक्त भवन को सील किया गया था।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13424/2020 में पारित निर्णय दिनांक 188.01.2022 एवं राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 07.02.2023 को उक्त बिल्डिंग को सीलमुक्त किया गया।
2.	05	भूखण्ड सं. 114, कटेवा नगर	01.03.2018	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के जीरो सैटबेक पर ग्राउण्ड + 3 मंजिल का अवैध निर्माण करने पर दिनांक 01.03.2018 को सील की कार्यवाही की गई।	राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 17.01.2023 को उक्त बिल्डिंग को सीलमुक्त किया गया।
3.	05	भूखण्ड सं. 54, नवनिर्माण नगर,	19.10.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के गैर अनुमोदित योजना में ग्राउण्ड + 4 मंजिला निर्माण में फ्लेटों का निर्माण खातली भूमि में किये जाने पर दिनांक 19.10.2021 को सील की कार्यवाही की गई।	राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 23.02.2023 को उक्त बिल्डिंग को सीलमुक्त किया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2565800) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { }